<u>न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा</u>

पीठासीन अधिकारीः— पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 14/2019 अपील

1. तेजपाल पिता बाबुलाल मीणा, आयु 23 साल, निवासी फाचर अहीरान, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. राहुल पिता बाबुलाल मीणा, आयु 19 साल, निवासी फाचर अहीरान, तहसील निम्बाहेड़ा।
3. रीना पुत्री बाबुलाल मीणा, आयु 21 साल, निवासी फाचर अहीरान, तहसील निम्बाहेड़ा।
4. बाबुलाल पिता हम्मा मीणा, आयु वयस्क, निवासी फाचर अहीरान, तहसील निम्बाहेड़ा।

– अपीलाण्ट

//बनाम//

तहसीलदार (भू.अ.) निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा।

– रेस्पोण्डेंट

<u>अपील</u>

<u>विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 31, दिनांक 14.05.2013</u>

<u>न्यायालय तहसीलदार, निम्बाहेड़ा बाबत।</u>

<u>श्री मदन चपलोत, अधिवक्ता अपीलाण्ट, उपस्थित</u>

निर्णय दिनांक **03.03.2020**

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके मौजा रसुलपुर में आराजी नं. 531 रकबा 0.8000 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो अपीलाण्ट संख्या 4 बाबुलाल पिता हम्मा एवं उसकी पत्नी श्यामु बाई पत्नी बाबुलाल मीणा, निवासी फाचर अहीरान को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा के आदेश मिसल संख्या 34/2013 दिनांक 20.02.2013 से आवंटित हुई। उक्त आवंटन आदेश की पालना में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 31, दिनांक 14.05.2013 खोला गया परन्तु सहवन से उसमें श्रीमती श्यामु बाई पत्नी बाबुलाल के स्थान पर श्यामु बाई बेवा हम्मा मीणा अंकित हो गया जबकि श्यामु बाई के पति का नाम बाबुलाल है। श्यामु बाई का देहान्त दिनांक 09.07.2018 को हो गया है जिसके वारिसान अपीलाण्ट संख्या 1 से 3 पुत्र एवं पुत्रियां तथा अपीलाण्ट संख्या 4 पति है। पूर्व में नामान्तरकरण की इस त्रुटी की कोई जानकारी अपीलाण्ट को नहीं थी। श्यामु बाई की विरासत का इन्तकाल खुलवाने गये तब जानकारी हुई तथा जानकारी होते ही यह अपील प्रस्तुत की जा रही है।

अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त इन्तकाल निर्णित करते हुए आवंटन आदेश का पूर्ण अवलोकन नहीं किया तथा श्यामु बाई के पति का नाम गलत रूप से हम्मा अंकित कर दिया जा निरस्त योग्य है। अपीलाण्ट जाति से मीणा होकर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है इसलिए पूर्व में जानकारी नहीं हो सकी। जानकारी होते ही यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अन्दर मियाद हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जावे तथा बाबुलाल पिता हम्मा व श्यामुबाई पत्नी बाबुलाल मीणा के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोण्डेंट तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपील को स्वीकार किया तथा नामान्तरकरण निरस्त किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना प्रकट की।

बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट एकतरफा सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। अपीलाण्ट ने अपील के साथ प्रश्नगत नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति व आवंटन आदेश की छायाप्रति प्रस्तुत की है। आवंटन आदेश में बाबुलाल पिता टम्मा मीणा व श्यामु बाई पत्नी बाबुलाल मीणा के नाम आवंटन आदेश में बाबुलाल पिता हम्मा व श्यामु बाई बेवा हम्मा मीणा अंकित किया गया है जो स्पष्ट रूप से त्रूटीपूर्ण है। अपीलाण्ट ग्रामीण अंचल के कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जिन्हें कानूनी बारिकीयों की जानकारी नहीं होने का कथन स्वीकार योग्य है। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेड़ा का नामान्तरकरण संख्या 31, दिनांक 14.05.2013 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि आवंटन आदेश प्रकरण संख्या 34/2013 दिनांक 20.02.2013 में अंकित अनुसार लाभार्थी का नाम बाबुलाल पिता हम्मा मीणा व श्यामुबाई पत्नी बाबुलाल मीणा के नाम नवीन नामान्तरकरण अंकित किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 03.03.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.07.03 21:48:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: